न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–04 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट), गोण्डा।

विशेष वाद संख्या–417 / 2026

उपस्थितः– दानिश हसनैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) आई.डी.नं0–यू0पी0–2727

लोक अदालत

उत्तर प्रदेश राज्य...**अभियोजन**

बनाम

हनुमान प्रसाद पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी ग्राम लक्ष्मनपुरी कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।

...........................**अभियुक्त**

मु0अ0सं0–91 / 2023
धारा 135, भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला गोण्डा।

निर्णय

पत्रावली लोक अदालत में निस्तारण हेतु पेश हुई। वादी मुकदमा राज कुमार, (अवर अभियंता) गोण्डा द्वारा दिनांक 07.01.2023 की घटना के बावत मु0अ0सं0 91 / 2023 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना एंटीपावर थेफ्ट जिला गोण्डा के समक्ष अभियुक्त हनुमान प्रसाद के विरूद्ध थानाध्यक्ष थाना एंटी पावर थेफ्ट पर दर्ज कराया गया और बाद विवेचना आरोप पत्र सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रेषित किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2023 को राजकुमार अवर अभियंता, मय उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव व हेड कान्सटेबल क्रमशः महेन्द्र कुमार उपाध्याय, सुरेन्द्र कुमार चौरसिया, बीर बहादुर यादव, सी.ए. राजेश कुमार वर्मा के विद्युत चोरी रोकथाम चेकिंग में मामूर था कि विद्युत चोरी चेकिंग के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता के परिसर को चेक किया गया तो इनके द्वारा स्वयं के नव निर्माणाधीन मकान के सामने बाई तरफ लगे एल.टी. पोल से बिना संयोजन के अबैध केविल जोड़कर स्वयं के छत पर लाकर मेन बोर्ड से जोड़कर व उपकरणों से जोड़कर अपने नव निर्माणाधीन में विद्युत का उपभोग अवैध चोरी से किया जाना पाया गया, जिनका विवरण निम्नवत है–चे0रि0सं0 / दि0 / समय 22 / 2772 दिनांक 06.01.2023 समय 12.49 नाम व पता उम्र लगभग 34 वर्ष हनुमान प्रसाद पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी लक्ष्मनपुरी कालोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा मोबाइल नं0–7700502736 वि0 संयोजन संख्या / स्वी0 वि0 भार–मौके पर कोई संयोजन व मीटर नहीं पाया गया और न ही कोई प्रपत्र प्रस्तुत किये। चोरी का प्रकार / जुड़ा वि0 भार–एल.एम.वी.–9, 1.946 किलो वॉट डायरेक्ट चोरी उपरोक्त व्यक्ति का यह कार्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–135(1)ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उपभोक्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्यवाही करने की कष्ट करे। बाद विवेचना आरोपपत्र उपरोक्त अभियुक्त

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:49:51 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के विरूद्ध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रेषित किया गया। अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त ने विभाग के समक्ष अपना समन शुल्क निश्चित कर दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा प्रार्थना पत्र समाप्त किए जाने मुकदमा इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा विभाग में समन शुल्क एवं समस्त देय का भुगतान कर दिया है तथा मुकदमा उपरोक्त की कार्यवाही समाप्त किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा समन शुल्क विभाग में जमा कर दिया गया है जिसके सम्बंध में विद्युत विभाग द्वारा प्रतिलिपि जमा रसीद दाखिल की गई है जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा समन शुल्क दिनांक 11.02.2026 को विभाग में जमा कर दिया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बिन्धित विभाग द्वारा पत्रांक 806/वि0वि0ख0 (प्रथम)/गोण्डा दिनांक 06.03.2026 को आख्या भी प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त द्वारा निर्धारित समन शुल्क एवं समस्त देय का भुगतान करने के कारण वे आरोप अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त हनुमान प्रसाद पुत्र भगौती प्रसाद को विशेष वाद संख्या 417/2026, मु0अ0सं0 91/2023, में अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम से विद्युत अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों का लाभ प्रदान करते हुए वाद उपरोक्त की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अभियुक्त उपरोक्त को उन्मोचित किया जाता है।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code-UP-2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट),
गोण्डा।

दिनांक 14.03.2026